

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर, R.A.S.

मुकदमा नं0:-173/2018

तारिख रजु:- 27.09.2013

जीसीएसएस आई0डी0:-2013/00524

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. नारायण पुत्र गिल्ला | } | जाति जाटव निवासी बरेडीका पुरा क्यारदा खुर्द |
| 2. गुडडी पतिन नानगराग | | तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान |

--वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राज0
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0


--प्रतिवादीगण

दावा बावत् इस्तकरारहक (दुरुस्ती)

मुकदमा न0 173/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण पेरोकार सरकार मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में उपलब्ध जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रिकार्ड से आराजी खसरा संख्या 1122, 1123 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में अंकित नोट में नजराने पर प्राप्त महकमा जिलेदारी अधिकृत हजफ किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 स्वीकार वि या जाता है। पक्षकाराण अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3/6/13 को यह डिक्री जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर) 3/6/13
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)

